

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक:—एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/

जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेट एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्बत 2082 (वर्ष 2025—26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों द्वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की राज्य के जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित जिलों के आगे लिखेनुसार **7451 गांवों** में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत व अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से **दिनांक 31 मार्च, 2026** तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलों में 33 प्रतिशत व अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कृषकों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान—अनुदान वितरण की अनुमति दी जाती है:—

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	कुल ग्रामों की संख्या
1	बांसवाड़ा	अंबापुरा, आनन्दपुरी, अरथूना, बागीदौरा, छोटी सरवन, गढ़ी, गांगंडतलाई, घाटोल, गनोड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा एवं सज्जनगढ़।	735
2	ब्यावर	मसूदा, बिजयनगर, ब्यावर, टोंडगढ़, रायपुर, जैतारण एवं बदनोर।	660
3	डूंगरपुर	डूंगरपुर, दोवड़ा, गामड़ी अहाड़ा, बिछीवाड़ा, सीमलवाड़ा, झोथरी, चिखली, सागवाड़ा, गलियाकोट, आसपुर, साबला, पाल देवल एवं ओबरी।	1042
4	जोधपुर	शेरगढ़, जोधपुर, ओसियां, लूणी, तिवंरी, कुड़ी भगतासनी, भोपालगढ़, बावड़ी, बिलाड़ा, बालेसर, चामू, झंवर एवं पीपाड़ शहर।	690
5	भीलवाड़ा	अंताली, आसीन्द, बनेड़ा, बिजौलियां, हुरड़ा, जहाजपुर, काछोला, कोटड़ी, माण्डलगढ़, फूलीयाकलां एवं शाहपुरा।	1271



RajKaj Ref No.:
18733590

eSign 1.0

6	नागौर	नागौर, खींवसर, जायल, डेह, डेगाना, सांजू, मेड़ता, रियांबड़ी एवं मूंडवा।	660
7	राजसमंद	आमेट, खमनोर, देलवाड़ा, राजसमंद, कुंवारिया, सरदारगढ़, भीम, देवगढ़, कुम्भलगढ़, गढबोर, नाथद्वारा एवं रेलमगरा।	409
8	डीडवाना-कुचामन	छोटीखाटू, मौलासर, डीडवाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां एवं परबतसर।	695
9	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं खण्डार	106
10	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़।	11
11	बालोतरा	सिवाना, समदड़ी एवं कल्याणपुर।	204
12	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़, बस्सी, गंगरार, राशमी, बेंगू, रावतभाटा एवं निम्बाहेड़ा	968
कुल योग:-			7451

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

क्रमांक:-एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम.डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
17. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. संम्भागीय आयुक्त, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
19. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा, ब्यावर, डूंगरपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, डीडवाना-कुचामन, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बालोतरा एवं चित्तौडगढ़।
20. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
22. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
23. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
24. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु।
25. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को गजट नोटिफिकेशन में ऑन लाईन/ई-फाईल से प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
26. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

शासन उप सचिव